

सेवा में,

श्रीमान् सचिव महोदय,


देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, देवघर।

विषय :- रिमांड अधिवक्ता के रूप में सभी न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी देवघर में किये गये कार्य के लिए माह ~~नवम्बर~~ 20~~18~~ का मानदेय भुगतान के संबंध में।

महोदय,

निवेदन पूर्वक आग्रह है कि आपके कार्यालय के पत्रांक नं० 92/18 द्वारा मुझे उक्त न्यायालय में रिमांड अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है मैं नियमित रूप से कार्य कर रहा हूँ। कृपया 5000/- रू० प्रति माह की दर से ~~नवम्बर~~ माह 20~~18~~ का मानदेय विपत्र का भुगतान करने की कृपा की जाय। इसके साथ मैं न्यायालय से रिमांड किये गये कार्यों का स्टेटमेंट संलग्न कर रहा हूँ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी


5/12/18

(कन्हैया प्रसाद राय)

रिमांड अधिवक्ता,

सिविल कोर्ट, देवघर।